UPBB010034762026

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) बाराबंकी।

जमानत आवेदन संख्या –1528/2026

गीता देवी आयु करीब 46 वर्ष पत्नी अजय सिंह, निवासिनी ग्राम मुहीउद्दीनपुर, थाना कोठी, जिला बाराबंकी।

.....अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य.....अभियोजन पक्ष।

मु०अ०सं०–302/2019
धारा–138(1)(b) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003,
थाना–एन्टी पावर थेफ्ट, जिला– बाराबंकी।

दिनांक 29.05.2026

अभियुक्ता गीता देवी द्वारा आत्मसमर्पण किया गया एवं उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अभियुक्ता की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियोजन कथानक फर्जी भ्रामक एं मनगढ़न्त है, सत्यता से कोई भी वास्ता व सरोकार नहीं है। उपरोक्त घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अनुरोध किया गया कि आवेदिका को दौरान मुकदमा उचित जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र पर पृष्ठांकन किया गया है कि आवेदिका वैध कनेक्शन धारक है, घटना के बाद प्रकरण से सम्बन्धित बिल भुगतान किया जा चुका है, रसीद संलग्न है। राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क जमा करना शेष है।

अतः प्रस्तुत मामले में तथ्यों के आधार पर अभियुक्ता को रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अभियुक्ता गीता देवी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मु० 20,000/– (बीस हजार) रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता को आदेशित किया जाता है कि राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क जमा करके दो सप्ताह में एन०ओ०सी० न्यायालय में प्रस्तुत करे।

प्रभारी विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट),
बाराबंकी।